

**“निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है।”**



क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)  
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै-600 034.  
143, STERLING ROAD, CHENNAI-600 034.

दूरभाष Phone : 28306300  
(100 lines)  
फैक्स Fax : 28238559

ई मेल Email : [rd-tamilnadu@esic.nic.in](mailto:rd-tamilnadu@esic.nic.in)

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित

वेबसाइट Website: [www.esichennai.org](http://www.esichennai.org)

(ISO 9001:2000 Certified)

सं. No.51-D-12-15-1-MF/Tie up/2009/ रोकड़ Cash

दिनांक Dated: 11.12.2009

## **परिपत्र CIRCULAR**

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै ने क.रा.बी. में कार्यरत कर्मचारियों को उनके आश्रितों सहित तथा सेवानिवृत्त पेंशनधारियों एवं उनके पति/पत्नी को नकदरहित विशेषज्ञता/अतिविशेषज्ञता चिकित्सा उपचार (केवल अंतरंग-रोगी) उपचार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अस्पतालों से टाई-अप की व्यवस्था की है।

Regional Office, Chennai, has arranged tie-up with the following Hospitals to provide cashless speciality/super speciality medical treatment (Inpatient treatment only) to the serving ESIC employees, including their dependents, retired ESIC Pensioners and their spouse.

- |  |   |
|--|---|
| i) GLOBAL HOSPITALS AND HEALTH CITY,<br>No.439, Cheran Nagar,<br>Perumbakkam, Chennai – 600 100<br>(Tel: 044 – 22777777, 22777000) SMC | iii) MIOT HOSPITALS,<br>4/112, Mount Poonamallee Road,<br>Manapakkam, Chennai – 600 089.<br>(Tel: 044 – 22492288) SMC/CGHS            |
| ii) RIGHT HOSPITALS,<br>No.1, Prof. Subramaniam Street,<br>Kilpauk, Chennai – 600 010.<br>(Tel: 044 – 26403939, 26423939) SMC          | iv) C.S.I. KALYANI GENERAL HOSPITAL,<br>No.15, Dr. Radhakrishnan Salai,<br>Chennai – 600 004.<br>(Tel: 044 – 28475101, 28476433) CGHS |

2. सभी से यह ध्यान रखने का निवेदन है कि उपचार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए चिकित्सा हितलाभ कार्ड प्रस्तुत करने पर ही लिया जाए। जिन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों ने पहले ही चिकित्सा हितलाभ कार्ड प्राप्त किया है, वे चिकित्सा उपचार लेने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं तथा जिन्होंने चिकित्सा हितलाभ कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे चिकित्सा हितलाभ कार्ड जारी करने के लिए फार्म भरकर संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित स्वयं के तथा अपने परिवार के फोटो सहित जमा करें। खाली चिकित्सा हितलाभ कार्ड आवश्यक संख्या में रोकड़ शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा पूरी तरह भरे हुए कार्ड रोकड़ शाखा को एक महीने के भीतर जमा करा दें जिससे यह शाखा वैद्य कार्ड जारी कर सके। चिकित्सा हितलाभ कार्ड का नमूना क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट [www.esichennai.org](http://www.esichennai.org) पर भी उपलब्ध है।

All are requested to note that the treatment should be availed only on production of Medical Benefit Card issued by Regional Office. Serving Officers/Officials, who have already obtained Medical Benefit Card, may use the same for availing medical treatment and the Officers/Officials, who have not obtained Medical Benefit Card are requested to submit filled up form along with photo of self and family photo duly attested by the respective Branch Manager, for issue of Medical Benefit Card. Required number of blank Medical Benefit Cards may be obtained from the Cash Branch and duly completed card to be submitted to the Cash Branch within one month so as to enable this branch to issue valid card. Specimen of the Medical Benefit Card is also available at Regional Office Website: [www.esichennai.org](http://www.esichennai.org).

3. उपर्युक्त अस्पतालों में अंतरंग उपचार की सुविधा लेने के लिए कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनके आश्रितों सहित, सेवानिवृत्त पेंशनधारियों एवं उनके पति/पत्नी से निवेदन है कि अस्पताल में दाखिले से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

It is emphasized that to avail inpatient treatment at the above hospitals the serving employees, including their dependents, Retired Pensioners and their spouse are requested to produce the following documents in the Hospital before admission.

आश्रितों सहित क.रा.बी.नि. में कार्यरत कर्मचारियों के लिए

Serving ESIC employees including their dependents

- i. अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, चेन्नै द्वारा जारी पहचान पत्र।  
Identity Card issued by the Additional Commissioner/Regional Director,ESI Corporation,Chennai
- ii. ए.एम.ए./सरकारी डॉक्टर/क.रा.बी.नि., के.के.नगर अस्पताल/अयनावरम द्वारा जारी संदर्भ पत्र।  
Referral letter issued by the AMA/Govt Doctor/ESIC K.K. Nagar Hospital/Ayanavaram.
- iii. अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, चेन्नै अथवा संबंधित शाखा कार्यालय के प्रबंधक द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (मूल प्रति )  
Eligibility Certificate(original) issued by the Additional Commissioner/Regional Director, ESI Corporation, Chennai or by the Manager of the concerned Branch Office.

सेवानिवृत्त क.रा.बी.नि. पेंशनधारियों के लिए For Retired ESIC Pensioner

- i) सेवानिवृत्त पेंशनधारी का क.रा.बी.निगम द्वारा जारी पेंशनधारी चिकित्सा सेवा पहचान पत्र।  
Pensioner Medical Service Identity Card of the Retired Pensioner, issued by the ESIC.
- ii) क.रा.बी.औषधालय/क.रा.बी.नि., के.के.नगर अस्पताल/ क.रा.बी.नि. अस्पताल अयनावरम द्वारा जारी संदर्भ पत्र।  
Referral letter issued by the ESI Dispensary/ESI Hospital Ayanavaram/K.K. Nagar, ESI Hospital.
- iii) अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक(रोकड़ शाखा), क.रा.बी.निगम, चेन्नै द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (यथा पहले ही अंशदान का भुगतान)  
Eligibility Certificate (i.e. payment of contribution well in advance) issued by the Additional Commissioner/Regional Director (Cash Branch), ESI Corporation, Chennai.

किसी आपात / गंभीर हालत में तुरंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होने पर इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र कि टॉर्ई-अप किए गए अस्पताल में दाखिले के अगले दिन संदर्भ पत्र तथा अन्य दस्तावेज कर्मचारी / पेंशनधारी द्वारा जमा कर दिए जाएंगे। ऐसा न होने पर लिए गए उपचार की पूरी लागत/व्यय संबंधित कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी।

In case of emergency/serious condition requiring immediate medical treatment, an undertaking to the effect that the referral letter and other documents should be submitted by the official/Pensioner to the tie-up hospital on the next day of admission, failing which entire cost/expenditure on treatment availed shall be borne by the official concerned.

पी. कामराज (11/12/09)

(पी.कामराज P. KAMARAJ)

सहायक निदेशक (रोकड़ )

ASST. DIRECTOR(CASH)

कृते अपर आयुक्त एवं क्षे.नि.

For ADDITIONAL COMMISSIONER  
& REGIONAL DIRECTOR.

सेवा में To  
सभी संबंधित All Concerned.



“निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है।”

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)  
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै-600 034.  
143, STERLING ROAD, CHENNAI-600 034.

दूरभाष Phone : 28306300  
(100 lines)  
फैक्स Fax : 28238559

ई मेल Email : rd-tamilnadu@esic.nic.in

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित

वेबसाइट Website: www.esichennai.org

(ISO 9001:2000 Certified)

## चिकित्सा हितलाभ कार्ड MEDICAL BENEFIT CARD

कार्ड सं. Card No: \_\_\_\_\_

पूरा नाम एवं पदनाम

Full Name & Designation: \_\_\_\_\_

जारी करने की तारीख

Date of Issue: \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम

Father's/Husband's Name: \_\_\_\_\_

जन्म-तिथि Date of Birth: \_\_\_\_\_

लिंग Gender: पुरुष Male / महिला Female

आवासीय पता Residential Address: \_\_\_\_\_

कार्यालय Office: \_\_\_\_\_

स्वयं का फोटो  
Self Photo

जारी करने वाले प्राधिकारी  
का हस्ताक्षर  
Signature of Issuing  
Authority

मोहर  
Stamp

कार्ड प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर  
Signature of Card Holder

### आश्रित परिवार सदस्यों का विवरण Details of Dependent Family Members:

क्रम सं. Sl.No.	नाम Name	जन्म तिथि D.O.B.	संबंध Relation

सत्यापित पारिवारिक  
फोटो  
Attested Family  
Photo

- आश्रित से अभिप्राय है, सभी स्रोतों से आय रु. 3500/- प्रति माह हो तथा कार्ड धारक के साथ निवास करता हो।  
Dependent means having monthly income less than Rs. 3500/- p.m. from all sources and residing with the card holder.
- इस कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जाए।  
Report of loss of this card is to be given to nearest police station.
- यदि कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कार्ड खो जाता है/क्षतियस्त हो जाता है तो व्यक्ति को क.रा.बी. निधि खाता सं. 1 में रु. 5/- जमा कराने होंगे।  
In case the card is Lost/Damaged within period of 5 years from the date of issue of card the individual has to deposit Rs. 5/- in E.S.I. fund Account No.1.